आई०एस०ओ० प्रमुखों को ठीक से अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए जाते हैं ।

(5) सुरक्षा सम्मेलनों की सिफारिशों के क्रियान्वयन पर गहन निगरानी तथा सुरक्षा पर स्थायी समिति तथा को०ई० लि० सुरक्षा बोर्ड में लिए गए निर्णयों पर बल दिया जा रहा है ।

(6) को०इं०लि० की प्रत्येक खान की सुरक्षा स्थिति के संबंध में सहायक कंपनियों द्वारा एक मासिक निगरानी की पद्धति, जिसमें सुधार किये जाने वाले क्षेत्र भी शामिल हैं, एक मासिक निगरानी पद्धति शुरु की गई थी और यह अभी जारी है । सुरक्षा की स्थिति पर को० इं० लि० तथा मंत्रालय के स्तर पर समीक्षा की जा रही है ताकि निकट तम अनुवर्ती कार्रवाई तथा सुरक्षात्मक उपाय किए जा सकें । सुरक्षा की स्थिति की मासिक निगरानी रखने की यह पद्धति भी सुरक्षा पर निरंतर लेखा परीक्षा रखे जाने के रूप में कार्य कर रही है ।

मुआवजे की राशि कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार हिसाब में लगाई जाती है और यह कामगारों की आयु तथा मासिक आय पर आधारित है । उपर्युक्त के अलावा मृतक कामगार के आश्रितों को अलावा अदायगी निम्नलिखित रूप में की जाती है :—

(1) अन्त्येष्टि व्यय : रु० 500/-

(2) अनुग्रह राशि : रु० 10,000/-

(3) जीवन बीमा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्तकर्ताओं को देय राशि : रु० 15,000/-

इसके अलावा, मृतक के एक आश्रित को रोजगार दिया जाता है । रोजगार विकल्प के रूप में विधवा/महिला आश्रित को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने/मृत्यु होने/पुन: विवाह करने के मामले में, इसमें जो भी पहले हो, 3000/-रु० की मासिक पेंशन की अदायगी की जाती है ।

(ग) और (घ) को०इं०लि० अपने कोयला खानों में निम्नलिखित आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रही है :—

(1) बोर्ड एवं पिल्लर क्रियाकलापों में जैसे साइड डिस्चार्ज लोडर्स/लोड-हॉल डम्पर्स के प्रयोग में मध्यवर्ती प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है । ताकि हैड लोडिंग का समापन तथा ग्रीन रूफ क्षेत्र में कार्यरत कामगारों के एक्सपोजर निम्नतम किया जा सके ।

(2) यांत्रिक लांगवाल खनन पद्धति की शुरुआत, जहां कि वायु/स्ट्राटा तथा अन्य संबंधित पैरामीटरों पर बेहतर नियंत्रण रखने के लिए व्यवहार्य हो ।

(3) रूफ बोल्डिंग को अपनाया जाना और इस्पात स्पोर्ट द्वारा टिम्बर सपोर्ट की प्रतिस्थापना का कार्य किया जाना ।

(4) रॉक मास रेटिंग (आर०एम० आर०) के अध्ययनों का प्रयोग करके प्रथामी रूप में वैज्ञानिक आधार पर रूफ सपोर्ट योजना को तैयार किया जाना ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

Privatisation of Coal Industry

818. SHRIMATI KAMLA SINHA:
DR. BAPU KALDATE:
SHRI P. UPENDRA:

Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether Government propose to fully privatise the coal industry in the country opening doors for foreign firms also for coal mines development, production; and

(b) if so, what are the details thereof stating the conditions and the manner in which coal mines are proposed to be allotted to the foreign companies?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.